सुलखान सिंह
आई०पी०एस०

परिपत्र संख्याः डीजी– 44 /2017

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1–तिलकमार्ग, लखनऊ–226001

दिनांकः दिसम्बर 15,2017

विषय :– जनहित गारन्टी अधिनियम–2011 के सन्दर्भ में लोक प्रबन्धन विभाग की अधिसूचना संख्याः 375/91–2013 दिनांक 27.11.2013 के अनुसार प्रथम अपीलीय अधिकारी/द्वितीय अपीलीय अधिकारी/पुर्नरीक्षण अधिकारी नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

कृपया श्री महेन्द्र सिंह, अनुसचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्याः 2378/06–पु0–2–2017–1600(46)/2017 दिनांकित 28.11.2017 तथा पत्र के साथ संलग्न उ0प्र0 लोक प्रबन्धन विभाग द्वारा जनहित गारन्टी अधिनियम–2011 के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना संख्याः 375/91–2013 दिनांक 27.11.2013 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 जनहित गारन्टी अधिनियम–2011 के अन्तर्गत अधिसूचना में वर्णित सेवाओं के निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी/द्वितीय अपीलीय अधिकारी/पुर्नरीक्षण अधिकारी या अपने स्तर से अपीलीय अधिकारियों को नामित करने की अपेक्षा की गयी है।

राज्य की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवायें प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में उ0प्र0 जनहित गारन्टी अधिनियम–2011 लागू किया गया है।

उपर्युक्त अधिसूचना के प्रस्तर–2 में अंकित उ0प्र0 जनहित गारन्टी अधिनियम–2011 के अन्तर्गत अंकित सेवाओं के निस्तारण हेतु मुख्यालय स्तर एवं जनपदीय/प्रकोष्ठ स्तर पर निम्न अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी/द्वितीय अपीलीय अधिकारी/पुर्नरीक्षण अधिकारी नामित किये जाते हैं :–

अधिकारी	मुख्यालय स्तर पर	जनपदीय/प्रकोष्ठ स्तर पर
प्रथम अपीलीय अधिकारी	पुलिस उपाधीक्षक, लोक शिकायत	अपर पुलिस अधीक्षक
द्वितीय अपीलीय अधिकारी	पुलिस अधीक्षक, लोक शिकायत	पुलिस अधीक्षक
पुर्नरीक्षण अधिकारी	पुलिस महानिरीक्षक, लोक शिकायत	पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्तर पर प्रभारी, अनुभाग–3 तथा जनपद/प्रकोष्ठ स्तर पर पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित सेवायें पात्र व्यक्ति को नियत समय सीमा के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जायेंगी।

इस प्रकार जनपदीय/प्रकोष्ठ स्तर पर नामित प्रथम अपीली अधिकारी/द्वितीय अपीलीय अधिकारी/पुर्नरीक्षण अधिकारियों की सूची अविलम्ब उपलब्ध करायी जाये।

उपर्युक्त नामित प्रथम अपीलीय/द्वितीय अपीलीय/पुर्नरीक्षण अधिकारियों द्वारा उपर्युक्त अधिनियम तथा निर्गत अधिसूचना में वर्णित व्यवस्था के अनुरूप निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवायें उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नकः यथोपरि।

सद्भावी,
भवदीय

(सुलखान सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः– **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**

1– समस्त महानिदेशक, उ0प्र0।
2– समस्त अपर पुलिस महानिदेशक/समस्त पुलिस महानिरीक्षक उ0प्र0।
3– समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
4– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।